की सहमति से ग्रामीण क्षत्रों में परिवार नियोजन कार्यों को तेजी से करने के लिए सुझाव दिये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जा चुका है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे तेजी से कार्यान्वित करे। कार्यक्रम इस प्रकार सुझाया गया है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना अवधियों में चलायी गयी योजनाओं का तर्कसम्मत विस्तार किया जाये और उसमें ये बातें भी सम्मिलित हैं :—

(१) विस्तार शिक्षा (२) सामान्य सामाजिक प्रणाली के रूप में विवाहित दम्पत्तियों को गर्भरोधकों की उपलब्धि की सुविधायें, वन्ध्यीकरण सुविधाओं का विस्तार (३) प्रति गांव एक पुरुष तथा क महिला अवेतनिक कार्यकर्ता की व्यवस्था (४) प्रति १०,००० जन संख्या के पीछे एक वैतनिक महिला कार्यकर्ता की व्यवस्था, यह कार्यकर्त्ता प्रसूति और बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन दोनों प्रकार की सेवायें देगी (५) प्रति ३०,००० जन संख्या के पीछे एक वेतनिक पुरुष कार्यकर्ता की व्यवस्था (६) ब्लाक हैड क्वार्टरों में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था करके सांख्यिकी मूल्यांकन सेवाओं को बढ़ाना (७) प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाना (८) जैविक तथा जनांकिकी संचार की अनुसंधान गति-विस्तार गर्भ रोधकों का स्वदेशी उत्पादन ।

Searches Made by Enforcement Directorate

*545. **Shri D. C. Sharma:**
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 109 on the 17th August,1963 and state the progress made in the investigations in the affairs of the business houses whose premises were searched by Enforcement Directorate for suspicion of defrauding the country by under-invoicing of exports and over-invoicing of imports?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): The searches of the business houses referred to in the reply to Starred Question No. 109 on the 17th August, 1963 were conducted by the Customs or Land Customs authorities and not by the Enforcement Directorate. These cases are under investigation or adjudication.

Company Law Administration

*546. **Shri Maheswar Naik:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Sidheswar Prasad:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to set up a corporate sector for administration of Company Law Department; and

(b) if so, the special advantages likely to accrue as a resut of new arrangements?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) It is proposed to set up a Board of Company Law Administration in accordance with the provisions contained in clause 4 of the Companies (Amendment) Bill, 1963 which was introduced in the House on the 26th November, 1963.